आदिवासी विकास विभागांतर्गत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक व ए.आ.वि.प्र, कळवण अंतर्गत समाज सुधार समिती, जि. नाशिक व्दारा संचिलत अनुदानित आश्रमशाळा नवीबेज, ता. कळवण, जि. नाशिक या आश्रमशाळेस शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून श्रेणीवाढ करुन इयत्ता ८ वी ते १० वी चे वर्ग सुरु करण्यास मंजूरी देण्याबाबत.

## महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.अआशा.२०२३/प्र.क्र.१०९(१४)/का.११

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२४

#### संदर्भ :

- 9. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. :- अआशा-२०१९/प्र.क्र.१०२/ का-११,दिनांक : ११ जून, २०१९.
- २. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अआशा.२०१९/प्र.क्र.१४८/का.११, दि .२०.०९.२०१९.
- अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआशा-२०२२/प्र.क्र.७४/ का-११
   (३) /५०७३, नाशिक, दिनांक १९/१०/२०२२.
- ४. आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआशा-२०१९/ प्र.क्र. /का ७ (१)/७१२, दि. ३० जानेवारी, २०२३.
- ५. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआशा २०२३ /प्र.क्र.९१/का.७ (१)/८३५९, दि.१२ डिसेंबर, २०२३.
- ६. मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.

#### प्रस्तावना-

महाराष्ट्र राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या हेतूने शासनाने सन १९७२-७३ पासून "आश्रमशाळा समूह" योजना सुरु केली या योजनेंतर्गत सध्या स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून त्यापैकी ५८ प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता १ ली ते ७ वी) व ३३२ माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता १ ली ते १० वी) सुरु आहेत. तसेच माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न १६६ कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता १ ली ते १२ वी) सुरु आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून १७ अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये इ. ८ वी ते इ. १० वी पर्यंत श्रेणीवाढ करणे व ४४ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता ११ वी व १२ वी, कला व विज्ञान शाखा) मंजूर करण्याची बाब

शासनाच्या विचाराधीन होती. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाव्दारा संचलित १७ अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळा व ४४ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने यासंदर्भात शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

### शासन निर्णय-

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण यांच्या अंतर्गत समाज सुधार समिती, जि. नाशिक व्दारा संचिलत अनुदानित आश्रमशाळा नवीबेज, ता. कळवण, जि. नाशिक या अनुदानित आश्रमशाळेस शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून श्रेणीवाढ मंजूर करुन इयत्ता ८ वी ते १० चे वर्ग सुरु करण्यास तसेच यासाठी आवश्यक तद्नुषंगिक पदनिर्मिती व अनुज्ञेय अनुदानावरील खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. आश्रमशाळेस मंजूर करण्यात आलेल्या इयत्ता ८ वी ते १० या वर्गाकरीता आवश्यक पदनिर्मिती तसेच तद्नुषंगिक पदनिर्मिती व अनुज्ञेय अनुदानावरील खर्च यास सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ प्रमाणे मान्यता देण्यात येत असून संस्थेस खालील अटी-शर्ती लागू राहतील.

- 9. समाज सुधार समिती, जि. नाशिक या संस्थेने अनुदानित आश्रमशाळा नवीबेज, ता. कळवण, जि. नाशिक या संस्थेने अनुदानित आश्रमशाळा नवीबेज, ता. कळवण, जि. नाशिक या आश्रमशाळेसंदर्भात श्रेणीवाढीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर श्रेणीवाढीचे वर्ग तात्काळ सुरु करावेत. वर्ग सुरु केल्यानंतर ३० दिवसांचे आत आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण यांना कळविण्यात यावे.
- २. शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून इयत्ता ८ वी, शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ पासून ९ वी व शैक्षणिक वर्ष सन २०२६-२७ पासून इयत्ता १० वी चे वर्ग सुरु करण्यात यावेत.
- अणीवाढ करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेस अनुदानित आश्रमशाळेसाठी आश्रमशाळा संहिता
   २०१९ मधील मानकामध्ये नमूद सर्व भौतिक सोयी-सुविधांनी युक्त स्वतःची सुसज्ज इमारत
   मान्यतेपासून दोन वर्षात बांधणे बंधनकारक राहील.

- ४. संस्थेने आश्रमशाळेत वर्गखोल्या व निवासाची स्वतंत्र इमारतीमध्ये व्यवस्था करावी. तसेच इमारतीमध्ये मानकाप्रमाणे स्नानगृहे, शौचालये उपलब्ध करुन द्यावीत आणि शुध्द पाण्याची मुबलक व्यवस्थाही उपलब्ध करून द्यावी.
- ५. श्रेणीवाढीची मान्यता देण्यात आलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेस शैक्षणिक दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अशा आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा वार्षिक निकाल किमान ८० टक्के असावा तसेच त्यापैकी किमान ६० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रथमश्रेणी मिळणे आवश्यक राहील. सदर आश्रमशाळेमध्ये प्रशिक्षित अर्हताकारी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नियमानुसार करण्यात यावी.
- ६. संस्थेने शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची नियुक्ती करताना शासनाने विहित केलेल्या अटी-शर्ती व नियमांचे पालन करावे. विहित अर्हताप्राप्त कर्मचा-यांची नेमणुक न केल्यास संस्थेस देय असलेले अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. प्रकरणपरत्वे आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. अप्रशिक्षित शिक्षक उमेदवारांची नियुक्ती केल्यास त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी शासनाची राहणार नाही व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील याची संस्थेने नोंद घ्यावी.
- ७. आश्रमशाळेतील आवश्यक पद भरतीसाठी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची मान्यता घेण्यात यावी. तसेच पदमान्यता देताना संदर्भ क्र. ३ मधील नमूद शासन निर्णय दिनांक ११.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- ८. समाज सुधार समिती, जि. नाशिक व्दारा संचित अनुदानित आश्रमशाळा नवीबेज, ता. कळवण, जि. नाशिक या आश्रमशाळेस शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सुत्रानुसार अनुदान अनुज्ञेय राहील.
- ९. संस्थेने अनुदानित आश्रमशाळासाठी 'आश्रमशाळा संहिता' तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी, शर्ती व नियमांचे पालन करावे.
- 90. प्रत्येक वर्गात कमाल ४० निवासी व १० बहिस्थ विद्यार्थी असावेत. सर्व निवासी विद्यार्थी हे अनुसूचित जमातीचे असतील.

- 99. शासनाने विहित केलेल्या अटी, शर्ती व नियमांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच उपरोक्त आश्रमशाळेबाबत गैरव्यवहार/गैर व्यवस्थापन याबाबत तक्रारी आल्यास संस्थेच्या आश्रमशाळेची श्रेणीवाढ/मान्यता रद्द करण्यात येईल.
- 9२. बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करणे व शिक्षणाचा स्तर उत्कृष्ट ठेवणे संस्थेवर बंधनकारक राहील.
- 93. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी उपरोक्त बाबत आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. यासाठी येणारा खर्च अनुदानित आश्रमशाळांच्या संबंधित अर्थसंकल्पिय लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- २. सदरहू शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरी अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०९१६०३०४५५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

## (प्रविण गो.साठे) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

#### प्रत-

- १. मा. राज्यपालांचे सचिव यांचे कार्यालय, राजभवन, मुंबई.
- २. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य.
- ३. मा. विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता.
- ४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ६. मा. लोक आयुक्त आणि उप लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- ७. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई.
- ८. सचिव, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई.
- ९. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.
- १०.आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.

- ११.जिल्हाधिकारी, नाशिक.
- १२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर.
- १३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर.
- १४.अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.
- १५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद नाशिक.
- १६.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १७.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण.
- १८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक.
- १९.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, नाशिक.
- २०. सचिव/अध्यक्ष, गोदावरी शिक्षण मंडळ, नाशिक.
- २१. कार्यासन ११.संग्रहार्थ.

# शासन निर्णय क्र.अआशा.२०२३/प्र.क्र.१०९(१४)/का.११, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र

## परिशिष्ट- अ

प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळेस श्रेणीवाढ मंजूर केल्यानंतर सदर अनुदानित आश्रमशाळेत माध्यमिक वर्ग सुरु केल्यानंतर येणाऱ्या बाब निहाय खर्चाचा व पदांचा तपशिल .

|          |                     |              |  | (सन २०२४-२५ या !  |                    | ाणारा अंदाजे खर्च)   |   |                       |  |
|----------|---------------------|--------------|--|---|--------------------|--|---|-----------------------|--|
|          |                     |              |  |   | रुपये              |  |   |                       |  |
| अ.क्र.   | संवर्ग              | पट           | इसंख्या  | वार्षिक वेत   | न पि               | रेपोषण अनुदान  | आकस्मिक अनुदान १२ टक्के<br>व ८ टक्के                  | एकूण                  |  |
| 9        | माध्यमिक शिक्षक     |              | 9  | प्रथम वर्षी वेतन व अनुदान देय नाही. फक्त लाक्षणिक अनुदान प्रत्येक आश्रमशाळेसा |                    |  |   |                       |  |
| २        | प्रयोगशाळा परिचर    |              | ठी रु. १०,०००/- (शा.नि.क्र.अनुआशा.१०९९/प्र.क्र.९१/९९/का.११ दि. २७.०९.१९५<br>९ व शा.नि.क्र. अनुआशा.१०९९/प्र.क्र.९१/९९/का.११,<br>दि. २९.०३.२००० अन्वये प्रथम वर्षी वेतन व अनुदान देय नाही) |   |                    |  |   |                       |  |
| 3        | स्वंयपाकी           |              | <del></del> दि. २९.०३.२०<br>१  |   | अन्वये प्रथम वर्षी | वेतन व अनुदान दे   | य नाही)   |                       |  |
|          | एकूण                |              | 3  |   |                    |  |   |                       |  |
|          |                     |              |  | सन २०२४-२५ या प्रथम वर्षाचा १ माध्यमिक आश्रमशाळेकरीता एकूण खर्च               |                    |  |   |                       |  |
|          |                     |              | (  | ।<br>सन २०२५–२६ या वि   | देतीय वर्षासाठी    | येणारा अंदाजे खर्च   | )   | 1                     |  |
| अ.क्र.   | संवर्ग              | पद<br>संख्या | ī  | ग्रासिक वेतन  | वार्षिक वेतन       | परिपोषण अनुद<br>द ८ वी व ९ वी  | रान ( आकस्मिक अनुदान १२<br>) ४० टक्के व ८ टक्के ५ व्य | एकूण<br>१ (रकाना ५-४) |  |
|          |                     |              |  |   |                    | <ul><li>X २ = ८०)</li><li>प्रत्येकी ४०</li><li>विद्यार्थी प्रमाप</li><li>१५०० X ८० X</li></ul> | वेतन आयोगानुसार                                       | +0)                   |  |
| 9        | ર                   | 3            |  | 8   | Ч                  | Ę  | l9  | ۷                     |  |
| 9        | माध्यमिक शिक्षक     | 7            |  | '- (मानधन प्रत्येकी<br>.००० प्रमाणे)  | 9,९२,०००/-         | 9२,००,०००/   | /_  |                       |  |
| २        | प्रयोगशाळा परिचर    | 9            |  | ३०,३६१/-  | ३,६४,३३२/-         |  |   |                       |  |
| 3        | स्वंयपाकी           | 9            |  | २५४८५/-   | ३०५८२०/-           |  |   |                       |  |
| 8        | कामाठी              | 9            |  | २३१३३/-   | ૨,७७,५९६/ <i>-</i> |  |   |                       |  |
|          | एकूण                | ч            |  | ९४,९७९  | 99,३९,७४८/         | - १२,००,०००/   | /- 9,0२,५७७/-   | २४,४२,३२५ <i>/</i>    |  |
| प्तन २०३ | १५-२६ या दुसऱ्या वर | र्षाचा १३    | माध्यमिक   | आश्रमशाळेकरीता प  | रकूण अंदाजे खन्    | <b>1</b>   | रुपये-२४,४२,३   | <del>-</del><br>24/-  |  |
| मन २०३   | १५-२६ या दुसऱ्या वष | र्गिसाठी प   | एका आश्र   | मशाळेसाठी पदनिर्मि  | ाती                |  | ५ पदे   |                       |  |
|          |                     |              |  |   |                    |  | 1   |                       |  |

| अ.क्र              | संवर्ग   | पद संख्या                                  | <b>(सन २०२६-२७ या तृ</b><br>मासिक वेतन  | वार्षिक वेतन  | परिपोषण अनुदान (इ.  | आकस्मिक  | एकूण                   |  |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|------------------------|--|
| ΟI.Я <sup>,</sup>  | (1911  | 14 राज्या                                  | 111(197 9() 1   | 911197 9(11   | ८ वी, ९ वी व १० वी  | अनुदान १२  | ्रकाना ५+६+(           |  |
|                    |  |  |   |   | ) प्रत्येकी ४० विद्यार्थी   | टक्के व ८  | (                      |  |
|                    |  |  |   |   | ,<br>प्रमाणे (४० X ३ =  | टक्के ५  |                        |  |
|                    |  |  |   |   | 9२०) (9५०० X 9२०  | व्या वेतन  |                        |  |
|                    |  |  |   |   | X 90)   | आयोगानुसार   |                        |  |
| 9                  | २  | 3  | 8   | Ч   | ધ   | (9   | ۷                      |  |
| 9                  | माध्यमिक<br>मुख्याध्यापक   | ٩  | ८०००/- (मानधन)  | ९६,०००/-  | 9८,००,०००/-   | २,२२,४३४/-   |                        |  |
| २                  | माध्यमिक<br>शिक्षक   | 8  | ३२,०००/- (मानधन<br>प्रत्येकी ८००० प्रमाणे)  | 3,८४,०००/-  |   |  |                        |  |
| 3                  | कनिष्ठ<br>लिपिक  | 9  | ३०,३६१/-  | ३,६४,३३२/-  |   |  |                        |  |
| 8                  | प्रयोगशाळा<br>परिचर  | 9  | ३०,३६१/-  | ३,६४,३३२/-  |   |  |                        |  |
| Ч                  | शिपाई  | ٩  | २३,१३३/-  | २,७७,५९६/-  |   |  |                        |  |
| 8                  | स्वंयपाकी  | 7  | 40,800/-  | ६,99,६४०/-  |   |  |                        |  |
|                    | कामाठी   | 9  | २३,१३३/-  | २,७७,५९६/-  |   |  |                        |  |
|                    | एकूण   | 99   | <b>ঀ,९७,९५८/</b> –  | २४,७१,४९६/-   | १८,००,०००/-   | २,२२,४३४/-   | ¥ <b>३,९७,९३०</b> /-   |  |
| न २०२              | ६-२७ या तिसऱ्य   | ग वर्षाचा १ शा                             | ळेकरीता एकूण अंदाजे खर्च  | l   | <b>४३,९७,९३</b> ०   | रुपये- ४३,९७,९३०/-   |                        |  |
| T 202              | ६-२७ या तिसऱ्य   | १९ पर्दे                                   |   |   |   |  |                        |  |
| 7 YOY              | q- <del>10 41 1111 4</del>   |  | ,   |   |   |  |                        |  |
| ਧ <b>ਦ</b> ਾਦ      | <u> </u>   |  | (सन २०२७-२८ या चौथ  |   | रा अंदाजे खर्च)   |  |                        |  |
| न २०२<br>भ.क्र.    | संवर्ग   | पद   |   |   | परिपोषण अनुदान (इ.८   | आकस्मिक अनुदान   |                        |  |
|                    |  |  | (सन २०२७-२८ या चौथ  | या वर्षासाठी येणार  | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व  | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के                                   | •                      |  |
|                    |  | पद   | (सन २०२७-२८ या चौथ  | या वर्षासाठी येणार  | परिपोषण अनुदान (इ.८   | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन                    | (रकाना                 |  |
|                    |  | पद   | (सन २०२७-२८ या चौथ  | या वर्षासाठी येणार  | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)  | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के                                   | (रकाना                 |  |
|                    |  | पद   | (सन २०२७-२८ या चौथ  | या वर्षासाठी येणार  | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X                                  | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन                    | (रकाना                 |  |
|                    |  | पद   | (सन २०२७-२८ या चौथ  | या वर्षासाठी येणार  | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०  | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन                    | (रकाना                 |  |
| ग.क.               | संवर्ग   | पद<br>संख्या<br>३                          | <b>(सन २०२७-२८ या चौथ</b><br>मासिक वेतन   | या वर्षासाठी येणार  | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार      | (रकाना<br>५ +६ +७      |  |
| भ.क्र.<br>१        | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव  | पद<br>संख्या<br>३<br>१                     | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-  | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७<br>८ |  |
| न.क्र.<br>१        | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक  | पद<br>संख्या<br>3                          | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-  | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७      |  |
| न.क्र.<br>१        | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव  | पद<br>संख्या<br>३<br>१                     | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी  | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७<br>८ |  |
| न.क्र.<br>१        | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक<br>शिक्षक  | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>१                | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी<br>मानधन )   | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-<br>२,८८,०००/-   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७      |  |
| ৭<br>৭             | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक<br>शिक्षक  | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>१                | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी<br>मानधन )<br>रु. ५८,९१७/-   | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७      |  |
| न.क्र.<br>१        | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक<br>शिक्षक  | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>२                | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी<br>मानधन )   | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-<br>२,८८,०००/-   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७<br>८ |  |
| ٩<br>٩<br>२        | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक<br>शिक्षक<br>माध्यमिक<br>शिक्षक  | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>१                | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी<br>मानधन )<br>रु. ५८,९१७ /-<br>प्रत्यक्ष वेतन<br>३०,३६१/-            | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-<br>७,०७,००४/-<br>३,६४,३३२/-   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७      |  |
| 9<br>9<br>२        | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक<br>शिक्षक<br>माध्यमिक<br>शिक्षक  | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>१                | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी<br>मानधन )<br>रु. ५८,९१७ /-<br>प्रत्यक्ष वेतन                        | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-<br>२,८८,०००/-   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७<br>८ |  |
| ٩<br>٩<br>२        | र<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक<br>शिक्षक<br>कनिष्ठ लिपि<br>प्रयोगशाळा   | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>१                | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी<br>मानधन )<br>रु. ५८,९१७ /-<br>प्रत्यक्ष वेतन<br>३०,३६१/-            | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-<br>७,०७,००४/-<br>३,६४,३३२/-   | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७      |  |
| न<br>१<br>१<br>१   | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक<br>शिक्षक<br>कनिष्ठ लिपि<br>प्रयोगशाळा<br>परिचर                        | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>१<br>१<br>१      | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी<br>मानधन )<br>रु. ५८,९१७/-<br>प्रत्यक्ष वेतन<br>३०,३६१/-             | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-<br>२,८८,०००/-<br>७,०७,००४/-<br>३,६४,३३२/-<br>३,६४,३३२/-                             | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७      |  |
| न<br>१<br>१<br>२   | संवर्ग २ माध्यमिक मुख्याध्यापव माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक कनिष्ठ लिपि प्रयोगशाळा परिचर शिपाई                          | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>१<br>१<br>१      | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन<br>४<br>८,०००/-<br>( रु. ८००० प्रत्येकी<br>मानधन )<br>रु. ५८,९१७/-<br>प्रत्यक्ष वेतन<br>३०,३६१/-<br>२३,१३३/- | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-<br>२,८८,०००/-<br>७,०७,००४/-<br>३,६४,३३२/-<br>२,७७,५९६/-                             | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)                     | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५ +६ +७      |  |
| न न<br>न<br>२<br>३ | संवर्ग<br>२<br>माध्यमिक<br>मुख्याध्यापव<br>माध्यमिक<br>शिक्षक<br>किनिष्ठ लिपि<br>प्रयोगशाळा<br>परिचर<br>शिपाई<br>स्वंयपाकी | पद<br>संख्या<br>३<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | (सन २०२७-२८ या चौथ<br>मासिक वेतन  ४  ८,०००/- ( रु. ८००० प्रत्येकी मानधन ) रु. ५८,९१७/- प्रत्यक्ष वेतन ३०,३६१/- २३,१३३/- ५०,९७०/-              | या वर्षासाठी येणार<br>वार्षिक वेतन<br>५<br>९६,०००/-<br>२,८८,०००/-<br>७,०७,००४/-<br>३,६४,३३२/-<br>३,६४,३३२/-<br>२,७७,५९६/-<br>६,११,६४०/- | परिपोषण अनुदान (इ.८<br>वी , ९ वी व<br>१० वी)<br>प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी प्रमाणे (४०<br>X ३ = १२०) (१५०० X<br>१२० X १०)<br>६<br>१८,००,०००/- | आकस्मिक अनुदान<br>क्के व ८ टक्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार<br>७ | (रकाना<br>५+६+७<br>८   |  |

|        |  |              | (सन २०२८-२९ या पाचव                                      | या वर्षासाठी येण    | गारा अंदाजे खर्च)  |  |                         |  |
|--------|--|--------------|--|---------------------|--|--|-------------------------|--|
| अ.क्र. | संवर्ग   | पद<br>संख्या | मासिक वेतन   | वार्षिक वेतन        | परिपोषण अनुदान (इ<br>.८ वी , ९ वी व १० वी<br>) प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी<br>प्रमाणे (४० X ३<br>= १२०) (१५०० X १२<br>० X १०) | आकस्मिक<br>अनुदान<br>१२ टक्के व ८ ट<br>क्के<br>५ व्या वेतन<br>आयोगानुसार | एकूण<br>(रकाना ५ +६ +७) |  |
| 9      | 2  | 3            | 8  | Ч                   | Ę  | (9   | ۷                       |  |
| 9      | माध्यमिक<br>मुख्याध्यापक                                   | 9            | ८,०००/-<br>मानधन   | ९६,०००/-            | 9८,००,०००/-  | 3,73,004/-   | ५७,२१,२७९/-             |  |
| २      | माध्यमिक शिक्षक  | 7            | १६,०००<br>प्रत्येकी मानधन  रु. ८००० /<br>-प्रमाणे )      | 9,92,000/-          |  |  |                         |  |
|        | माध्यमिक शिक्षक  | ?            | १,१७,८३४/- (५८,९१७<br>प्रत्येकी प्रत्यक्ष वेतनाप्रमाणे ) | 9४,9४,००८/-         |  |  |                         |  |
| 3      | कनिष्ठ लिपिक   | ٩            | ३०,३६१/-   | ३,६४,३३२/-          |  |  |                         |  |
| 8      | प्रयोगशाळा परिचर   | ٩            | ३०,३६१/-   | ३,६४,३३२/-          |  |  |                         |  |
| Ч      | शिपाई  | ٩            | २३,१३३/-   | २,७७,५९६/-          |  |  |                         |  |
| 8      | स्वंयपाकी  | २            | 40,800/-   | ६,११,६४०/-          |  |  |                         |  |
|        | कामाठी   | ٩            | २३,१३३/-   | २,७७,५९६/-          |  |  |                         |  |
|        | एकूण   | 99           | २,९९,७९२/-   | ३५,९७,५०४/-         | 9८,००,०००/-  | 3,23,004/-   | ५७,२१,२७९/-             |  |
| सन २०२ | मन २०२८-२९ या पाचव्या वर्षाचा १ शाळेकरीता एकूण अंदाजे खर्च |              |  |                     |  |  | रुपये- ५७,२१,२७९/-      |  |
|        | (7   | सन २०२       | २–३० या सहाव्या वर्षापासून प्र                           | ात्यक्ष वेतन विच    | ारात घेता येणारा अंदार्ज   | ने खर्च)   |                         |  |
| अ.क्र. | संवर्ग   | पद<br>संख्या | मासिक वेतन   | वार्षिक वेतन        | परिपोषण अनुदान<br>(इ.८ वी , ९ वी व °<br>वी ) प्रत्येकी ४०<br>विद्यार्थी<br>प्रमाणे (४० X ३ = °<br>०)<br>१५०० X १२० X १०      | टक्के व ८ टव<br>५ व्या वेतन<br>अयोगानुसार                                | के (रकाना<br>५+६+७)     |  |
| ٩      | २  | 3            | 8  | ч                   | Ę  | (9   | ۷                       |  |
| 9      | माध्यमिक<br>मुख्याध्यापक                                   | 9            | ७३,६७२/-   | ८,८४,०६४/-          | 9८,००,०००/-  | ५,०४,६८२   |                         |  |
| २      | माध्यमिक शिक्षक  | 8            | २,३५,६६८/- (५८,९१७<br>प्रत्येकी )                        | २८,२८,०१६/-         |  |  |                         |  |
| 3      | कनिष्ठ लिपिक   | ٩            | ३०,३६१/-   | ३,६४,३३२/-          |  |  |                         |  |
| 8      | प्रयोगशाळा परिचर   | ٩            | ३०,३६१/-   | ३,६४,३३२/-          |  |  |                         |  |
| Ч      | शिपाई  | ٩            | २३,१३३/-   | २,७७,५९६/-          |  |  |                         |  |
| 8      | स्वंयपाकी  | ર            | 40,800/-   | ६,११,६४०/-          |  |  |                         |  |
|        | कामाठी   | ٩            | २३१३३/-  | २,७७,५९६/-          |  |  |                         |  |
|        | एकूण   | 99           | ४,६७,२९८/-   | <b>५६,०७,५७६/</b> - | 9८,००,०००/-  | ५,०४,६८२   | ७९,१२,२५८               |  |

### शासन निर्णय क्रमांकः अआशा.२०२३/प्र.क्र.१०९(१४)/का.११

| इयत्ता ८ वी ते १० श्रेणीवाढ केल्यामुळे एका आश्रमशाळेसाठी होणारी पदनिर्मिती | १९ पदे             |
|--|--------------------|
| एका माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी सन २०२४-२५ या प्रथम वर्षासाठीचा अंदाजे खर्च     | रुपये-१०,०००/-     |
| एका माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी सन २०२५-२६ या  व्दितीय वर्षासाठीचा अंदाजे  खर्च | रुपये-२४,४२,३२५/-  |
| एका माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी सन २०२६–२७ या तृतीय वर्षासाठीचा अंदाजे  खर्च    | रुपये-४६,९१,८८८/-  |
| एका माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी सन २०२७-२८ या चौथ्या वर्षासाठीचा अंदाजे  खर्च   | रुपये- ५०,५५,२८५/- |
| एका माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी सन २०२८-२९ या पाचव्या वर्षासाठीचा अंदाजे  खर्च  | रुपये-५७,२१,२७९/-  |
| एका माध्यमिक आश्रमशाळेसाठी सन २०२९-३० या सहाव्या वर्षासाठीचा अंदाजे  खर्च  | रुपये-७९,१२,२५८/-  |